International Journal of Global Multidisciplinary Research and Analytics
IJGMRA | ISSN (Online): 3107-6483
October-December 2025 | Vol. 01 | Issue 3
Website: www.thearyapublication.com

पंचायती राज व्यवस्था में महिला ग्राम प्रधानों का क्षमता निर्माण: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

सोनी पाल*

*शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, दी. द. उ. गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
ई-मेल: sonipal.gkp@gmail.com
DOI: doi.org/10.5281/zenodo.18206906
Accepted on: 05/11/2025 Published on: 10/01/2026

सारांश:

भारत में पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। वर्ष 1992-93 में हुए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं हेतु पंचायती राज में 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी जिसके परिणाम स्वरूप पंचायतों में महिलायें भारी संख्या में प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आई, वास्तव में यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। लेकिन प्रारंभ में व्यवहारिक रूप में यह देखने को मिला कि पंचायतों में प्रतिनिधि के रूप में चुनी गई महिलाओं की यह उपस्थिति मात्र संख्यात्मक थीं, लेकिन धीरे-धीरे उनकी स्थितियों में काफी बदलाव हुआ है। अब स्थिति यह है कि पंचायतों में उनकी भागीदारी होने के साथ ही उनमें आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता बढ़ी है तथा उनमें जागरूकता आई है। राजनीतिक रूप से जागरुक महिलायें चुनाव लड़ रही हैं और चुनाव जीतकर स्वतंत्र रूप से फैसले ले रही हैं और ग्रामीण विकास कार्यो को करवाकर सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। हालाँकि, अभी भी इस व्यवस्था के अंतर्गत लैंगिक असमानता बनी हुई है, संवैधानिक प्रावधानों और सकारात्मक कारवाई के बावजूद भी स्थानीय स्वशासन में महिला प्रतिनिधियों की वास्तविक भागीदारी सीमित है। यह शोध पत्र पंचायतों में इन असमानताओं को दूर करने, महिला प्रतिनिधियों के वास्तविक भागीदारी और उनके नेतृत्व को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए उनमें क्षमता निर्माण जैसे ज्ञानात्मक क्षमता, प्रशासनिक क्षमता, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक क्षमता इत्यादि की प्रभावशालिता का मूल्यांकन करता है। इस शोध पत्र में यह विश्लेषण किया गया है कि किस प्रकार पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, शिक्षा की कमी, प्रॉक्सी नेतृत्व, संस्थागत सीमाएँ और सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ महिला ग्राम प्रधानों की भूमिका को प्रभावित करती है। साथ ही, क्षमता निर्माण को एक समग्र सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखते हुए इसके विभिन्न आयामों-ज्ञानात्मक, प्रशासनिक, सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। शोध-पत्र अंततः यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि महिला ग्राम प्रधानों में

क्षमता निर्माण करना न केवल लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत करने की अनिवार्य शर्त भी है।

मुख्य शब्द: *पंचायती राज, महिला प्रतिनिधि, क्षमता निर्माण, महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता.*

प्रस्तावना:

पंचायती राज की अवधारणा भारत में प्राचीन काल से विद्यमान रही है, किंतु आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा 1992 में मिला। पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ करना, जन-भागीदारी को बढ़ावा देना और विकास को स्थानीय लोगों तक पहुंचाकर ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाना है। इसी उद्देश्य से संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा महिलाओं को पंचायतों में 33 प्रतिशत (वर्तमान में कुछ राज्यों मे 50 प्रतिशत) आरक्षण प्रदान किया गया। इस आरक्षण व्यवस्था के पश्चात ग्रामीण राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा मिला, यह वास्तव में एक अभूतपूर्व बदलाव है। जिसके फलस्वरूप प्रशासनिक व्यवस्था में ही नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था में भी बदलाव हुआ है। हालाँकि, समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है कि क्या यह उपस्थिति सशक्तिकरण में परिवर्तित हो पाई है। अनेक अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि महिला ग्राम प्रधानों की भूमिका अक्सर औपचारिक रह जाती है, जबकि वास्तविक सत्ता परिवार के पुरुष सदस्यों या स्थानीय प्रभुत्वशाली वर्गों के हाथों में बनी रहती है। इसी संदर्भ में महिला ग्राम प्रधानों के क्षमता निर्माण का प्रश्न अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है।

क्षमता निर्माण का तात्पर्य केवल तकनीकी प्रशिक्षण से नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और आत्मविश्वास के समग्र विकास की प्रक्रिया है। महिला ग्राम प्रधानों के संदर्भ में क्षमता निर्माण के मुख्य रूप से 4 आयाम हैं। पहला आयाम है- ज्ञानात्मक क्षमता, इस आयाम के अंतर्गत महिला ग्राम प्रधानों को अपने पद संबंधी अधिकारों, कर्तव्यों और सरकार द्वारा चलाएं गए योजनाओं की जानकारी होना आवश्यक होता है। दूसरा आयाम है- प्रशासनिक क्षमता, इस आयाम के अंतर्गत महिला ग्राम प्रधान को ग्राम पंचायतों की बैठक संचालन, बजट निर्माण, अभिलेख प्रबंधन इत्यादि का ज्ञान होना जरूरी होता है। तीसरा आयाम है- नेतृत्व क्षमता, इस आयाम में महिला प्रतिनिधियों में निर्णय-निर्माण, संवाद कौशल और सामूहिक नेतृत्व आदि कौशलों का होना अत्यंत आवश्यक होता है। चौथा आयाम है- सामाजिक क्षमता, इस आयाम के अंतर्गत महिला प्रतिनिधियों का समुदाय के

लोगों के साथ संवाद, संघर्ष, समाधान और सामाजिक नेटवर्किंग आदि कौशल का होना जरूरी हैं। उक्त चारों क्षमताओं के संवर्धन के लिए महिला ग्राम प्रधानों को विशेष रूप से प्रशिक्षित कर क्षमता निर्माण की प्रक्रिया मे आगे बढ़ा जा सकता है।

पंचायत के क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण में बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेते हैं और जिन्हें प्रशिक्षित किया जाना है, वे ज्ञान, पृष्ठभूमि और रुचियों के मामले में एकदम अलग-अलग होते हैं। वर्ष 1993 में 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद से इस समय देशभर में लगभग 255623 ग्राम पंचायतें 6697 ब्लॉक पंचायतें और 665 जिला पंचायतें काम कर रही हैं।1 सभी राज्यों में पंचायत के तीन स्तर वाले ढांचे के तहत लगभग 31.47 लाख प्रतिनिधियों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। इनमें से 14.54 लाख से अधिक प्रतिनिधि महिलाएं हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों से भी लगभग 10 लाख प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इनमें से अधिकतर महिलाओं तथा वंचित पुरुषों के लिए पंचायत में चुना जाना सार्वजनिक भूमिका निभाने का उनका पहला अनुभव होता है और सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का पहला मौका होता है। उन्हें सामाजिक बाधा (पितृसत्ता, सामंतवाद) और संस्थागत बाधा (अधिकतर राज्यों में पंचायतों को सीमित अधिकार तथा शक्तियां दी गई हैं) भरे माहौल में कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती हैं। केंद्र तथा राज्य की योजनाएं पंचायत में ठीक तरीके से लागू हों, यह देखने की जिम्मेदारी भी इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों की होती है। इस भूमिका के लिए खास तरह के कौशल और तकनीकी जानकारी की जरूरत हो सकती है। पंचायत की कमान और उसका कामकाज संभालने के लिए खास तरह के प्रशिक्षण और क्षमताओं की जरूरत भी होती है।2 महिला ग्राम प्रधानों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण में मुख्य रूप से विकेंद्रीकरण का दर्शन, पंचायतों को दिए गए अधिकार शक्तियां व कर्तव्य, विभिन्न कार्यक्रम लागू करने के तरीके, विकेंद्रीकरण योजना क्या है, पंचायतों के वित्तीय साधन, बजट बनाना, मूल्यांकन व पर्यवेक्षण करना आदि शामिल करना आवश्यक है।3

संबंधित साहित्य समीक्षा:

भट्ट, डॉ. पुष्पा (2023) ने अपने शोध-पत्र "पंचायतों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी एक बदलती तस्वीर" में लिखा है कि पंचायती राज व्यवस्था में सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित महिलाओं की संख्या वर्ष दर वर्ष बढ़

रही है। महिला जन प्रतिनिधियों के समक्ष तमाम चुनौतियां होने के बावजूद भी वो अपनी जिम्मेदारीयों को भलीभांति निभाते हुए ग्रामीण समाज में अपनी सफलता की कहानियां लिख रही हैं।

सिंह, विवेक (2024) ने अपने शोध-पत्र "पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण: चुनौतियां एवं संभावनाएं" के अध्ययन से यह पता चलता है कि महिलाओं की पंचायतों में भागीदारी और नेतृत्व क्षमता तभी सफल हो सकता है , जब पंचायतों में लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाए तथा लैंगिक पूर्वाग्रह को समाप्त किया जाए।

शोध अध्ययन का उद्देश्य:

प्रस्तुत शोध पत्र के अध्ययन हेतु प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

- पंचायती राज व्यवस्था में महिला ग्राम प्रधानों की भूमिका का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना।
- महिला ग्राम प्रधानों हेतु क्षमता निर्माण के विभिन्न आयामों का अध्ययन करना।
- महिला ग्राम प्रधानों के क्षमता निर्माण में आने वाली सामाजिक, सांस्कृतिक और संस्थागत बाधाओं का अध्ययन करना।
- महिला ग्राम प्रधानों के क्षमता निर्माण हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध अध्ययन की विधि:

प्रस्तुत पत्र शोध के लिए अध्ययनकर्ता ने द्वितीयक स्रोतों के द्वारा तथ्यों का संकलन किया है। जैसे विभिन्न किताबें, रिपोर्ट्स, मैगजीन, समाचार पत्र, प्रकाशित लेख, इंटरनेट आदि के द्वारा आंकड़ों का संकलन किया गया है।

महिला ग्राम प्रधानों की सामाजिक स्थिति एवं उनके क्षमता निर्माण की बाधाएँ:

महिला ग्राम प्रधानों के क्षमता निर्माण मे प्रमुख बाधाओं को समझने से पहले उनकी सामाजिक स्थिति को समझना होगा। अधिकांश महिला ग्राम प्रधान ग्रामीण समाज की साधारण पृष्ठभूमि से आती हैं। उनकी सामाजिक स्थिति कई कारकों से प्रभावित होती है। इन कारकों में पहला कारक है- सीमित शिक्षा, ग्रामीण समाज में लंबे समय तक बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता न मिलना, गरीबी, बाल विवाह, घरेलू जिम्मेदारियाँ तथा सामाजिक रूढ़ियाँ महिलाओं की औपचारिक शिक्षा में बाधक रही हैं। परिणामस्वरूप अनेक महिला ग्राम प्रधान न्यूनतम

शैक्षिक योग्यता के साथ निर्वाचित होती हैं। दूसरा कारक- घरेलू कार्यभार है, ग्रामीण समाज में परंपरागत रूप से महिलाओं पर भोजन पकाना, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल, पशुपालन, ईंधन-पानी लाना, घर की सफ़ाई, पारिवारिक आयोजनों और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन जैसे कार्यों की मुख्य जिम्मेदारी होती है। ग्राम प्रधान बनने के बाद भी यह कार्यभार कम नहीं होता। तीसरा कारक- आर्थिक निर्भरता है, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश महिलाओं के पास स्वतंत्र आय का अभाव, भूमि, संपत्ति और संसाधनों पर सीमित स्वामित्व, रोजगार के अवसरों की कमी होती है। ऐसे में ग्राम प्रधान बनने के बावजूद वे आर्थिक रूप से पति या परिवार पर निर्भर रहती हैं। चौथा कारक है-पितृसत्तात्मक पारिवारिक नियंत्रण, ग्रामीण समाज में परिवार प्रायः पुरुष प्रधान होता है। महिला ग्राम प्रधान बनने के बाद भी पति, ससुर या अन्य पुरुष परिजन निर्णयों में हस्तक्षेप करते हैं। उपरोक्त चार कारक महिलाओं की सामाजिक पृष्ठभूमि को प्रभावित करते है।

महिला ग्राम प्रधानों के लिए यह आवश्यक है कि वे पंचायती राज प्रणाली की संरचना, उद्देश्यों और उसमें अपनी भूमिका एवं दायित्वों को स्पष्ट रूप से समझें, उनमें नई समझ विकसित करने, जनता तथा पंचायत के प्रति जिम्मेदार होने, संवेदनशील बनने और प्रशिक्षित होने की जरूरत भी होती है। पंचायत के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन एक अत्यंत जटिल कार्य है, क्योंकि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक होती है और उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा भौगोलिक पृष्ठभूमि में व्यापक विविधता पाई जाती है। इसके अतिरिक्त, उनके जीवन-परिस्थितियाँ और अनुभव भी एक-दूसरे से भिन्न होते हैं। इन सभी के लिए यह आवश्यक है कि वे पंचायती राज प्रणाली की संरचना, उद्देश्यों और उसमें अपनी भूमिका एवं दायित्वों को स्पष्ट रूप से समझें। महिला ग्राम प्रधानों की सामाजिक, सांस्कृतिक और संस्थागत समस्याओं के आधार पर उनके क्षमता निर्माण में प्रमुख बाधायें निम्नवत हैं-

पितृसत्तात्मक मानसिकता- ग्रामीण समाज में महिलाओं को नेतृत्व के योग्य नहीं माना जाता। ग्रामीण समाज में गहराई से जमी पितृसत्तात्मक सोच के अंतर्गत नेतृत्व और निर्णय निर्माण को पुरुषों का क्षेत्र माना जाता है। महिलाओं को सहायक या परोक्ष भूमिका तक सीमित समझा जाता है। महिला ग्राम प्रधान को अक्सर "नाम मात्र की प्रधान" के रूप में देखा जाता है। इस मानसिकता के कारण पंचायत बैठकों में महिला प्रधान की बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। सचिव, ग्राम विकास अधिकारी और अन्य कर्मचारी कई बार पुरुष परिजनों से संवाद को प्राथमिकता

देते हैं। इस प्रकार महिला प्रधान के वैधानिक अधिकार व्यवहार में सीमित हो जाते हैं और लगातार उपेक्षा और अविश्वास के कारण महिला प्रधान का आत्मविश्वास कमजोर पड़ता है।

प्रॉक्सी प्रधान की समस्या: प्रॉक्सी प्रधान वह स्थिति है जिसमें निर्वाचित महिला ग्राम प्रधान के स्थान पर पति (सरपंच पति/प्रधान पति) ससुर या अन्य पुरुष परिजन, कभी प्रभावशाली स्थानीय व्यक्ति वास्तविक निर्णय और प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित करते हैं, जबकि महिला प्रधान केवल औपचारिक हस्ताक्षरकर्ता बनकर रह जाती हैं। प्रॉक्सी प्रधान की समस्या के कारण महिला आरक्षण का मूल उद्देश्य कमजोर पड़ता है और महिलाओं का आत्मविश्वास और नेतृत्व विकास रुक जाता है। उनकी निर्णय लेने की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है और वैधानिक अधिकार व्यवहार में निष्प्रभावी हो जाते हैं जिससे उनका सामाजिक सम्मान और राजनीतिक पहचान कमजोर होती है।

प्रशिक्षण की औपचारिकता: महिलाओं की क्षमता निर्माण हेतु चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यवहारिक न होकर औपचारिक रह जाते हैं। अनेक राज्यों में महिला ग्राम प्रधानों के लिए आयोजित प्रशिक्षण सीमित अवधि के होते हैं। ये प्रशिक्षण केवल उपस्थिति और प्रमाण-पत्र तक सिमट जाते हैं। व्यावहारिक समस्याओं के समाधान पर कम केंद्रित रहते हैं। इस कारण प्रशिक्षण ज्ञानात्मक न होकर औपचारिक बन जाते हैं। प्रशिक्षण की भाषा जटिल और तकनीकी होती है। उनमें स्थानीय संदर्भों और वास्तविक पंचायत समस्याओं का अभाव रहता है। प्रशिक्षण में संवादात्मक, सहभागी और व्यवहारिक पद्धतियों के बजाय व्याख्यान अपनाया जाता है। औपचारिक प्रशिक्षण के कारण योजनाओं, वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की स्पष्ट समझ विकसित नहीं हो पाती है, जिसके कारण महिला प्रधानों में आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पाती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रॉक्सी प्रधान की प्रवृत्ति बनी रहती है। घरेलू कार्यभार के कारण प्रशिक्षण में पूर्ण सहभागिता कठिन होती है। इसके साथ ही प्रशासनिक तंत्र द्वारा प्रशिक्षण को केवल अनिवार्यता मान लेने से प्रशिक्षण की उपयोगिता सिद्ध नहीं हो पाती है।

संस्थागत सहयोग की कमी: प्रशासनिक तंत्र द्वारा महिला प्रधानों को पर्याप्त सहयोग नहीं मिल पाता है। संस्थागत सहयोग से तात्पर्य है- प्रशासनिक मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता, पंचायत स्तर पर सहयोगी तंत्र सचिव, तकनीकी सहायक, ब्लॉक अधिकारी का सक्रिय समर्थन। महिला ग्राम प्रधानों को यह सहयोग प्रायः पर्याप्त रूप में नहीं मिल

पाता है। अनेक मामलों में पंचायत कर्मी महिला प्रधानों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। निर्णय और संवाद पुरुष परिजनों से ही किया जाता है। महिला प्रधान को प्रक्रियात्मक जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराई जाती, इससे उनकी वैधानिक भूमिका कमजोर हो जाती है। संस्थागत सहयोग की कमी के कारण योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी होती है, वित्तीय और तकनीकी निर्णयों में निर्भरता बढ़ती है जिससे महिला प्रधान आत्मनिर्भर रूप से कार्य नहीं कर पातीं हैं।

क्षमता निर्माण हेतु किए जा रहे प्रयास:

भारत में महिला ग्राम प्रधानों के क्षमता संवर्धन के लिए अनेक प्रयास और कार्यक्रम आज तक लागू किए गए हैं ताकि वे अपने नेतृत्व, निर्णय-क्षमता और पंचायती राज व्यवस्था मे अपनी भूमिका को बेहतर ढंग से निभा सकें। प्रमुख प्रयास इस प्रकार हैं-

केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयास-

केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सर्वप्रथम 21 अप्रैल 2018 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 तक के लिए अनुमोदित किया गया था। उसके उपरांत पुनः संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 13 अप्रैल 2022 को अनुमोदित किया गया जो 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। केंद्र प्रायोजित संशोधित आरजीएससी योजना क्षमता निर्माण आयोग के इनपुट के आधार पर विशेष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और अन्य हित-धारकों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियों को बनाने के लिए किए जाने वाले हस्तक्षेपों के संबंध में व्यवहारिक दृष्टिकोण यानी सीखने के आधार पर इमर्सिव और लक्ष्योन्मुखी डिलीवरेबल्स के साथ करना और संरेखित करने हेतु तैयार की गई है। इंटरएक्टिव क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण सुनिश्चित करने और कभी भी कहीं भी स्व-शिक्षण और स्व प्रमाणन की सुविधा के लिए उभरती हुई तकनीक का लाभ उठाने पर जोर दिया जाएगा।4

केंद्र सरकार ने महिला ग्राम प्रधानों को सशक्त बनाने हेतु 04 मार्च 2025 को सशक्त पंचायत नेत्री अभियान जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिससे महिलाओं के नेतृत्व कौशल, निर्णय लेने की क्षमता और विधिक जागरूकता को बढ़ावा मिलता है। इस अभियान में महिलाओं को न केवल प्रशिक्षण दिया जाता है बल्कि यौन आधारित हिंसा के खिलाफ कानून और ग्राम स्तर पर महिलाओं के अधिकारों की जानकारी भी दी जाती है।5

महिला हितैषी ग्राम पंचायत योजना, 5 मार्च 2025 को नई दिल्ली में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य हर जिले में एक ऐसी ग्राम पंचायत बनाना है जो महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित और अनुकूल हो, और इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च 2025) के अवसर पर जमीनी स्तर पर लागू किया गया था। इसके तहत पंचायती राज मंत्रालय ने नेतृत्व- कौशल के विकास हेतु विशेष प्रशिक्षण के लिए 770 आदर्श महिला-हितैषी ग्राम पंचायतों यानी प्रत्येक जिले में एक आदर्श ग्राम पंचायत के चयन की घोषणा की।6

क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) ने महिला सरपंचों को सशक्त बनाने और गुणवत्तापूर्ण ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए सरपंच शक्ति जैसे राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसमें उन्हें डिजिटल रूप से जोड़ने और बेहतर शासन के लिए ज्ञान साझा करने के लिए सरपंच संवाद ऐप के माध्यम से जोड़ा जाता है, जिसका उद्देश्य 'विकसित भारत' की दिशा में उन्हें सक्षम बनाना है।7

राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले प्रयास-

कई राज्यों ने महिला ग्राम प्रधानों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए हैं जिसमें नेतृत्व क्षमता, संचार कौशल, पंचायती राज की भूमिका, योजनाओं की जानकारी आदि विषयों को शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान द्वारा हजारों महिला प्रधानों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों के पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य है महिला प्रतिनिधियों के नेतृत्व कौशल और निर्णय क्षमता को मजबूत करना। इसमें सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक जागरूकता जैसे पहलू भी शामिल हैं। कुछ राज्यों में मिशन शक्ति जैसे व्यापक कार्यक्रमों के तहत महिला ग्राम प्रधानों के सशक्तिकरण और क्षमता संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए जाने वाले प्रयास:

देश के विभिन्न राज्यों में प्रिया व कोलेबरेटिंग नेटवर्क ऑफ रीजनल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, मध्य प्रदेश में एकलव्य संस्था, उत्तर प्रदेश मे पीपल्स एक्शन फॉर नैशनल इंटीग्रेशन (पानी) जैसे गैर सरकारी संगठनों द्वारा ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर प्रशिक्षण तथा नेतृत्व विकास कार्यक्रमों द्वारा क्षमता वृद्धि की दिशा में कार्य किया जा रहा है।8

क्षमता निर्माण के प्रयासों का परिणाम:

महिला ग्राम प्रधानों के क्षमता निर्माण के लिए किए गए प्रयासों के परिणाम बहुआयामी रहे हैं। इन प्रयासों से कुछ सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देते हैं, तो कुछ क्षेत्रों में अभी भी अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और अभिमुखीकरण सत्रों के माध्यम से महिला ग्राम प्रधानों को पंचायती राज अधिनियम, ग्राम सभा की भूमिका, वित्तीय प्रबंधन तथा योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त हुई। इससे अनेक महिला प्रधानों की निर्णयक्षमता और प्रशासनिक आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। क्षमता निर्माण के प्रयासों ने महिला ग्राम प्रधानों को सार्वजनिक मंचों पर बोलने, बैठकों की अध्यक्षता करने और अधिकारियों से संवाद स्थापित करने में सक्षम बनाया। कई क्षेत्रों में वे अब स्वयं योजनाओं का प्रस्ताव रखती हैं और ग्राम विकास की दिशा तय करने में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप महिला ग्राम प्रधानों की सरकारी योजनाओं जैसे- स्वच्छता, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला एवं बाल विकास के क्रियान्वयन में भागीदारी बढ़ी है । इससे ग्राम स्तर पर सामाजिक विकास से जुड़ी योजनाओं की प्रभावशीलता में सुधार हुआ है। क्षमता निर्माण ने महिला ग्राम प्रधानों को लैंगिक समानता, महिला अधिकारों और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया। कई ग्राम पंचायतों में बालिका शिक्षा, महिला स्वावलंबन और घरेलू हिंसा जैसे विषयों पर खुलकर चर्चा होने लगी है। जहाँ नियमित और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया, वहाँ प्रॉक्सी प्रधान की प्रवृत्ति में कुछ हद तक कमी देखी गई। प्रशिक्षित महिला प्रधान अपने अधिकारों और दायित्वों को समझकर स्वयं निर्णय लेने लगी हैं, हालांकि यह समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। क्षमता निर्माण के प्रयासों के परिणाम सभी क्षेत्रों में समान नहीं हैं। प्रशिक्षण का औपचारिक होना, निरंतर मार्गदर्शन का अभाव, पितृसत्तात्मक पारिवारिक दबाव और कम शैक्षिक पृष्ठभूमि जैसी चुनौतियाँ इन प्रयासों की प्रभावशीलता को सीमित करती हैं।

निष्कर्ष:

यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि महिला ग्राम प्रधानों का क्षमता निर्माण पंचायती राज व्यवस्था की सफलता के लिए अनिवार्य है। महिला ग्राम प्रधानों का सशक्तिकरण ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। केवल आरक्षण से वास्तविक सशक्तिकरण संभव नहीं है बल्कि इसके लिए सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन, संस्थागत सहयोग, म्हलाओं में क्षमता निर्माण का विकास आवश्यक है। भारत में महिला ग्राम प्रधानों के क्षमता संवर्धन के लिए कई सरकारी और गैर सरकारी प्रयास किए गए हैं जैसे राष्ट्रीय अभियान, नेतृत्व प्रशिक्षण,

राज्य-स्तरीय प्रशिक्षण, कार्यशालाएँ, जागरूकता कार्यक्रम और पंचायत-विशेष गतिविधियाँ। इन प्रयासों का उद्देश्य है कि महिला प्रधान सिर्फ नाममात्र की प्रतिनिधि न रहें, बल्कि सशक्त निर्णयकर्ता, योजनाएँ लागू करने वाली प्रभावी नेता बनें। तथापि, इन कार्यक्रमों का प्रभाव और पहुँच अभी भी सुधार की गुंजाइश रखता है ताकि ग्रामीण महिलाओं तक अधिक प्रभावी सहायता पहुँच सके।

सुझाव:

महिला ग्राम प्रधानों के क्षमता निर्माण के प्रयासों से उनकी प्रशासनिक दक्षता, आत्मविश्वास और सामाजिक भूमिका में सकारात्मक बदलाव आया है। यदि इन प्रयासों को सतत, व्यावहारिक और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाए, तो महिला ग्राम प्रधान ग्राम स्वशासन को अधिक सशक्त और समावेशी बनाने में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। महिला ग्राम प्रधानों के वास्तविक क्षमता निर्माण हेतु सुझाव निम्नवत हैं-

- निरंतर एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण: महिला ग्राम प्रधानों को केवल औपचारिक नहीं, बल्कि निरंतर, चरणबद्ध और व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण में ग्राम पंचायत की वास्तविक समस्याओं, फाइल कार्य, बैठक संचालन, प्रस्ताव लेखन और योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान हो। प्रशिक्षण सामग्री को स्थानीय भाषा में, सरल उदाहरणों और दृश्य-श्रव्य माध्यमों से प्रस्तुत किया जाए ताकि कम शिक्षित महिला प्रधान भी विषयवस्तु को आसानी से समझ सकें।
- शिक्षा एवं डिजिटल साक्षरता: महिला ग्राम प्रधानों को मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, ई गवर्नन्स पोर्टल और डिजिटल भुगतान प्रणाली का प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वे शासन की डिजिटल पहलों का प्रभावी उपयोग कर सकें। महिला ग्राम प्रधानों को बजट निर्माण, लेखा-जोखा, ई-ग्राम स्वराज, पी.एफ.एम.एस. और सरकारी अनुदानों के उपयोग से संबंधित विशेष वित्तीय प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे उनकी वित्तीय स्वायत्तता बढ़े।
- महिला प्रधानों के नेटवर्क: महिला प्रधानों का नेटवर्क बनाया जाए। उस नेटवर्क में अनुभवी और सफल महिला ग्राम प्रधानों को मेंटोर के रूप में जोड़ा जाए। ब्लॉक या जिला स्तर पर महिला प्रधानों के अनुभव साझा मंच बनाए जाएं जिससे आपसी सीख को बढ़ावा मिले।

- लैंगिक संवेदनशीलता कार्यक्रम: केवल महिला प्रधानों ही नहीं, बल्कि उनके परिवार और समुदाय के लिए भी जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएँ, ताकि पितृसत्तात्मक मानसिकता में बदलाव आए और महिला नेतृत्व को सामाजिक स्वीकृति मिले। ग्राम सभा, महिला स्वयं सहायता समूहों और युवा मंचों के माध्यम से लैंगिक समानता, महिला नेतृत्व और साझा निर्णय पर जागरूकता अभियान चलाए जाएँ, जिससे महिला ग्राम प्रधानों को सामाजिक समर्थन मिले।
- प्रॉक्सी व्यवस्था पर नियंत्रण: प्रशिक्षण के दौरान महिला ग्राम प्रधानों को उनके संवैधानिक अधिकारों और शक्तियों की स्पष्ट जानकारी दी जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रशिक्षण में वास्तविक प्रधान की अनिवार्य उपस्थिति हो।
- संस्थागत सहयोग और समर्थन तंत्र: ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर महिला ग्राम प्रधानों के लिए सहायता केंद्र या संसाधन इकाइयाँ स्थापित की जाएँ, जहाँ वे प्रशासनिक, तकनीकी और कानूनी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें।

संदर्भ:

- वार्षिक रिपोर्ट 2022-23, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
- राय, मनोज (2018). पंचायत प्रतिनिधियों का क्षमता निर्माण. *कुरुक्षेत्र*, *64*(9), 14.
- महीपाल (2024), पंचायत में महिलायें: चुनौतियाँ और संभावनाएं. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास.
- संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएससए), केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के कार्यान्वन के लिए रूपरेखा/ढांचा, वर्ष 2022-23 से 2025-26.